



## एमएमटीसी लिमिटेड

कोर-1, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली -110 003

टेलीफोन: 24362200, ई-मेल : [mmtc@mmtclimited.com](mailto:mmtc@mmtclimited.com), Website : [www.mmtclimited.gov.in](http://www.mmtclimited.gov.in)

### कैंटीन सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना(एनआईटी)

#### निविदा दस्तावेज

विषय: एमएमटीसी में कैंटीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निविदा पूछताछ ।

एमएमटीसी लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम स्कोप काम्प्लेक्स, लोदी रोड तथा एमएमटीसी कालोनी, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली -17 में स्थित एमएमटीसी प्रशिक्षण केन्द्र में कैंटीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनुलग्नक -II में दिए गए टेक्नो-कमर्शियल बोली फार्मेट में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित एजेंसियों से 'बोलियां' आमंत्रित करती है। कार्य की विशिष्टताएं तथा कार्यक्षेत्र अनुलग्नक-I में दिया गया है। अनुलग्नक -III में वित्तीय बोली का प्रारूप दिया गया है। आरंभ में ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा जो करार के हस्ताक्षरित होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा एमएमटीसी द्वारा इन शर्तों व अनुबंधों पर करार का नवीकरण किया जाएगा जो दोनों पक्षों की आपसी स्वीकृति से स्वीकार्य होगा।

निविदा संबंधी कार्यक्रम की समय सारणी:

निविदा संख्या	:	एमएमटीसी/कल्याण/2016/01
जारी करने की तिथि	:	01.04.2016
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	21.04.2016, 14.30 बजे
पात्रता तथा तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	:	21.04.2016, 15.30 बजे
ईएमडी राशि	:	1,00,000/- रुपये

1. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उन सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों का उल्लेख करें जो उन्होंने अन्य सरकारी संस्थाओं को ऑफर की हैं। बोलियां निम्नलिखित सहित मुहरबंद लिफाफे में श्री सुभाष भास्कर, अपर महाप्रबंधक(प्रशासन) एमएमटीसी लिमिटेड को संबोधित करते हुए जमा की जाएं:-
  - i. 'बयाना राशि' निविदा संख्या तथा बोलीदाता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए एक अलग मुहरबंद लिफाफे में बयाना राशि ।
  - ii. 'तकनीकी बोली' निविदा संख्या तथा बोली दाता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी बोली।
  - iii. 'वित्तीय बोली' निविदा संख्या तथा मर्दों की इकाई दर के साथ बोलीदाता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए वित्तीय बोली
2. निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि समय पर अथवा इससे पहले द्वितीय तल, एमएमटीसी लिमिटेड, कोर-1, स्कोप काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में रखी गई निविदा पेटी में निविदा संख्या के साथ उपरोक्त बोली(बोलियों) को डाला जाए। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त की गई किसी भी बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पात्रता एवं तकनीकी बोली को उसी दिन अर्थात् 21.04.2016 को 1530 बजे खोला जाएगा। निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली फर्मों की वित्तीय बोलियां खोलने की तिथि को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
4. पात्रता मानदंड बोली दस्तावेज (अनुलग्नक -II) के साथ 1,00,000/- रुपये(एक लाख रुपये) की बयाना राशि भी जमा करनी होगी। एमएमटीसी लिमिटेड के पक्ष में बैंकर्स चैक के रूप में ईएमडी का भुगतान किया जाए। उक्त ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। किसी भी बोली के साथ यदि ईएमडी नहीं दी गई है तो उक्त बोली को एमएमटीसी द्वारा तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
  - 4.1 राष्ट्रीय उद्योग निगम(एनएसआईसी) के साथ पंजीकृत लघु इकाइयों को आरंभिक ईएमडी के भुगतान करने की छूट की सुविधा देने के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बड़ी इकाइयों की तुलना में 15 प्रतिशत का मूल्य अधिमान भी दिया जाएगा। बोलीदाताओं को एनएसआईसी के साथ पंजीकरण की प्रति संलग्न करनी होगी। तथापि उक्त इकाइयों के चयन हो जाने पर निविदा प्रक्रिया में 1,00,000/- रुपये की राशि सुरक्षा जमा के रूप में देनी होगी जो एमएमटीसी के पक्ष में नई दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी मांग पत्र/बैंकर्स चैक के रूप में जमा की जाएगी। संविदा की अवधि के दौरान उक्त सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. बोली की वैधता अवधि के दौरान यदि कोई बोली दाता अपनी बोली को वापस लेता है तो ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. सफल बोलीदाता की ईएमडी को संविदा के निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रख लिया जाएगा तथा संविदा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात ही लौटाया जाएगा। तथापि उक्त ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाताओं को कार्य सौंपने के पश्चात असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि लौटा दी जाएगी।
7. तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए बोली वैध होगी।
8. निविदा भरने तथा जमा करने से पहले बोलीदाताओं को स्थल का निरीक्षण कर लेना चाहिए ताकि वे कार्य क्षेत्र से भली भांति परिचित हो जाएं क्योंकि किसी प्रकार की कथित अनभिज्ञता के विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा मूल रूप से बिना किसी परिवर्धन, परिवर्तन तथा निम्नलिखित रूप से अन्य

धाराओं में दिए गए विवरणों के अनुसार जमा की जाए। जहां भी आवश्यक हो, निविदा दस्तावेजों में बोली दाता द्वारा अनिवार्य विवरण भरे जाएं।

9. ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति करने के साथ साथ कैंटीन चलाने के लिए सभी सांविधिक एवं अन्य सभी दायित्वों का वहन करना होगा।

10. एमएमटीसी को किसी भी रूप में इन कर्मचारियों का नियोक्ता नहीं माना जाएगा अथवा उनके रोजगार की शर्तों अथवा उनकी सेवाओं के अनुबंधों से संबंधित नहीं माना जाएगा क्योंकि नियोक्ता एवं कर्मचारियों का संबंध सदैव ठेकेदार तथा उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के बीच होगा। इन कर्मचारियों को नियुक्त करते समय ठेकेदार इन शर्तों के विषय में स्पष्ट एवं लिखित रूप से बताएगा तथा इन शर्तों पर उनकी स्वीकृति की सूचना एमएमटीसी को भी स्पष्ट एवं लिखित रूप से देगा।

11. कंट्रेक्टर लेबर(उन्मूलन तथा विनियमन) अधिनियम 1970(अब से कंट्रेक्टर लेबर अधिनियम संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत तथा समुचित प्राधिकरणों से अपनी लागत पर अन्य सभी आवश्यक लाईसेंस प्राप्त करने के साथ साथ लाईसेंसों तथा कंट्रेक्टर लेबर अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/किसी अध्यादेश के कानूनों के उक्त सभी प्रावधानों अथवा समय-समय पर समुचित प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्धारित शर्तों एवं अनुबंधों का अनुपालन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यह समझा एवं माना जाए कि इनके अनुपालन का पूर्ण दायित्व सदैव ठेकेदार का होगा। कैंटीन के कार्य समय के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगने/मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के मामले में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेवार होगा। स्थानीय नियमों के अनुसार प्रचलित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन करने के साथ-साथ कार्य करने के लिए ठेकेदार स्वस्थ, उचित रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित तथा पर्याप्त रूप से अनुभवी एवं सुपरवाइज्ड कर्मचारी तैनात करेगा।

12. किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी कैंटीन बंद होने के बाद कैंटीन समय के पश्चात कैंटीन परिसर में नहीं ठहरेगा। कैंटीन बंद होने के दौरान ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन रूम सही तरीके से बंद एवं सुरक्षित है। ठेकेदार को आंबटित स्थान तक पहुंच उन शर्तों एवं तरीकों से होगी जो समय-समय पर एमएमटीसी द्वारा निर्धारित एवं विनियमित होंगे तथा यह ठेकेदार एवं उसके कर्मचारियों को मान्य होंगे।

13. अपवादित परिस्थितियों के अंतर्गत जब कभी भी आवश्यक होगा एमएमटीसी अपने स्वविवेक से किसी भी शर्त व अनुबंध में परिवर्तन कर सकती है।

14. किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार किसी अन्य पार्टी से कोई कार्य अथवा संविदा नहीं लेगा अथवा किसी अन्य पार्टी को कोई कार्य अथवा उप संविदा/संविदा नहीं देगा। यदि ठेकेदार इस ठेके को किसी को उप ठेके पर देता है तो ठेके को बिना किसी नोटिस के स्वतः ही समाप्त माना जाएगा तथा सिक्क्यूरिटी राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

15. एमएमटीसी को अधिकार होगा कि वह ठेका अवाई करने से पहले किसी भी बोली प्रक्रिया को निरस्त कर दे जिसमें किसी एक बोली अथवा सभी बोलियों को उनके प्राप्त हो जाने के बाद भी अस्वीकृत करने का अधिकार भी शामिल है। एमएमटीसी की इस प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रभावित बोलीदाता के प्रति कोई देयता नहीं बनेगी तथा वह बाध्य नहीं होगी कि वह अपनी कार्रवाई के बारे में प्रभावित बोलीदाता(ओं) को इसकी सूचना दे।

16. एमएमटीसी को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर तथा बिना किसी दायित्व के आर्डर देने से पहले किसी भी समय बोली की प्रक्रिया को रद्द करने के साथ-साथ किसी भी

समय सभी बोलियों को रद्द कर दें। यह निविदा दस्तावेज बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के जारी किया जा रहा है तथा इस कार्यालय को अधिकार है कि वह किसी भी स्टेज पर इसके किसी भाग में परिवर्तन अथवा बदलाव कर दे। यदि किसी भी समय आवश्यक हो तो एमएमटीसी का यह भी अधिकार होगा कि वह निविदा दस्तावेज को वापस ले ले।

#### 17. दरें एवं मूल्य

17.1 अनुलग्नक-III में दिए गए प्रपत्र में बोलीदाता को दरें उद्धृत करनी होंगी। अपूर्ण बोलियों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17.2 उद्धृत दरों में सभी सांविधिक शुल्क एवं कर(आबकारी एवं सीमा शुल्क) यदि लागू हो तो बिक्री कर, सेवा कर, वैट आदि शामिल होंगे तथा संविदा की समयावधि के दौरान किसी भी कारण से किसी अन्य दावे पर एमएमटीसी विचार नहीं करेगी। उद्धृत मूल्य स्थिर होंगे तथा प्रस्ताव की वैधता के दौरान दरों, मूल्यों अथवा शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन के परिणामस्वरूप ईएमडी जब्त हो जाएगी।

17.3 एमएमटीसी द्वारा ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भाड़ा अथवा किन्हीं अन्य प्रभारों आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

17.4 बोलीदाता अल्पाहार(स्नैक्स)/शीतल पेय, रस(जूस), बिस्कुट आदि की ब्रांडेड मदों के लिए प्रतिस्पर्धी दरें लेगा जो किसी भी परिस्थिति में मदों पर अंकित एमआरपी से अधिक नहीं होंगी।

17.5 संविदा की प्रचालन अवधि के साथ-साथ विस्तारित अवधि यदि कोई है तो, के दौरान एमएमटीसी के पूर्व अनुमोदन से ही वस्तुओं के मूल्यों में संशोधन किया जा सकता है। एमएमटीसी की लिखित अनुमति से पूर्वानुमोदित वस्तु सूची(मेनू) में परिवर्तन किया जा सकता है।

#### 18. भुगतान की शर्तें

18.1 कैंटीन का परिचालन 'कैश एवं केरी' आधार पर किया जाएगा। एमएमटीसी के कर्मचारियों को आपूर्ति के प्रति बिलों एवं एमएमटीसी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के इस आशय कि माह के दौरान उपलब्ध करवाई गई सेवाएं संतोषजनक थीं, के प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात एक पखवाड़े में लागू दरों पर टीडीएस की कटौती के बाद मासिक आधार पर भुगतान जारी किया जाएगा।

18.2 किसी भी कार्मिक को उधार पर दी गई वस्तुओं का जोखिम ठेकेदार का होगा तथा कैंटीन की सेवाओं का प्रयोग करने वाले किसी भी श्रमिक/कार्मिक द्वारा देय राशि की वसूली के लिए किसी भी रूप में एमएमटीसी जिम्मेवार नहीं होगी। तथापि इस समस्या के संभावित समाधान के लिए कैंटीन प्रबंधन समिति को सूचित किया जा सकता है। ठेकेदार अथवा उसके किसी कार्मिक द्वारा इस विषय में कर्मचारी के साथ कोई झगड़ा अथवा मारपीट नहीं की जाएगी।

#### 19. पात्रता मानदण्ड (अनुलग्नक-II के प्रारूप में)

19.1 विगत चार वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीदाता की औसत वित्तीय टर्नओवर 30 लाख (तीस लाख) रुपये अवश्य होनी चाहिए। (इस दावे के समर्थन में बोलीदाताओं को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ विगत दो वित्तीय वर्षों की आईटीआर की प्रति भी जमा करनी होगी) ।

- 19.2 सेवा कर के लिए बोलीदाता को किसी राज्य/केन्द्र सरकार के बिज्जी विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- 19.3 बोलीदाता का डी वेट, टिन संख्या, पेन संख्या, पीएफ/ईएसआई पंजीकरण होना आवश्यक है।
- 19.4 बोलीदाता भोजन प्रबंध (केटरिंग/होटल व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत हो तथा उसे यह साक्ष्य उपलब्ध करवाना होगा कि विगत चार वर्षों में उसने होटल अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/सरकारी कार्यालय अथवा किसी प्रतिष्ठित निजी कार्यालय में न्यूनतम 250 कर्मचारियों के लिए कार्यालय कैंटीन को सुचारु रूप से चलाया है अथवा विगत चार वर्षों में 250 व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 20 भोजन प्रबंध (केटरिंग) सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं।
- 19.5 न्यूनतम चार विगत वर्षों से फर्म का अस्तित्व होना चाहिए।
- 19.6 उपरोक्त सभी के समर्थन में बोलीदाता को दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी अन्यथा बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 19.7 बोलीदाता के पास अनुभवी रसोइया, बैरा पर्यवेक्षक की टीम होनी चाहिए ताकि भोजन/खाद्य पदार्थों की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस दावे के समर्थन में विवरण उपलब्ध करवाएं जाएं।
- 19.8 बोलीदाता को स्थानीय नियमों के अनुरूप प्रचलित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- 19.9 बोलीदाता द्वारा एमएमटीसी कैंटीन परिसर से बाहरी ग्राहकों को खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
- 19.10 तकनीकी बोली बनाने वाले घटक जैसे विगत अनुभव, निष्पादन, वित्तीय क्षमता, संसाधन उपलब्धता आदि के साक्ष्य पर निविदा की योग्यता आधारित होगी। बोलीदाता की तकनीकी बोली की जांच इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति द्वारा की जाएगी। तकनीकी रूप से सफल प्रस्तुतकर्ता के ही वाणिज्यिक प्रस्ताव को खोला जाएगा तथा सबसे न्यूनतम बोली वाले बोलीदाता को नेगोशिएशन के लिए बुलाया जाएगा। इनमें से सबसे कम बोली वाले चयनित बोलीदाता को कैंटीन चलाने के लिए संविदा करनी होगी।

## 20. बोलियों का मूल्यांकन

20.1 बोलियों को सबसे पहले पात्रता मानदण्ड के लिए निर्धारित मानदण्डों पर मूल्यांकित किया जाएगा तथा बिन्दु 19.1 से 19.10 में सूचीबद्ध पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले बोलीदाताओं की बोलियों पर वित्तीय बोली खोलने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा जो तकनीकी एवं वित्तीय दोनों रूपों में निविदा की सभी पात्रता एवं योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

क) निविदाकर्ता को अधिमानतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संस्थान में गत चार वर्ष का कार्यालय कैंटीन/होटल चलाने का अनुभव होना चाहिए पिछले नियोक्ता से संतोषजनक कार्य निष्पादन के साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाएं।

ख) एमएमटीसी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी निविदा अथवा निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।

ग) बोली का तकनीकी मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें कार्य के विगत अनुभव दस्तावेज/विश्वसनीय तुलनपत्र शामिल होंगे। समिति को अधिकार होगा कि वह अपने विश्लेषण/के अनुसार बोलियों को योग्य/अयोग्य करार दे दे।

घ) प्रस्तावों का मूल्यांकन एक पैकेज के रूप में किया जाएगा जिसमें परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध मात्राओं के लिए उद्धृत इकाई दरों के आधार पर मर्दों को शामिल किया गया है। एल 1 बोलीदाता केवित्तीय बोली मूल्यांकन का निर्धारण सभी मर्दों की इकाई दरों के आधार पर किया जाएगा।

ड) संविदा को अंतिम रूप देने के लिए निम्नतम 'स्वीकार्य' निविदा पर आगे विचार किया जाएगा।

## 21. परिसमापन हर्जाना

21.1 यदि सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं तो एमएमटीसी एक माह का लिखित नोटिस देते हुए ठेके को निरस्त कर सकती है। साथ ही, जिस ठेकेदार को पहले कार्य संविदा दी गई थी उसकी लागत, जोखिम एवं दायित्व पर किसी अन्य एजेंसी को ठेका दे सकती है। इसके अतिरिक्त, इसके लिए किसी प्रकार के अधिक व्यय की वसूली एमएमटीसी द्वारा सुरक्षा जमा राशि, अथवा लम्बित बिलों अथवा ठेकेदार पर एक अलग दावा करके की जाएगी।

21.2 संविदा अथवा करार में दी गई किन्हीं शर्तों अथवा अनुबंधों के उल्लंघन अथवा संविदा के निष्पादन में ठेकेदार के असफल होने के कारण से एमएमटीसी को होने वाली/हुई हानि अथवा नुकसान के लिए एमएमटीसी पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सुरक्षा जमा राशि को जब्त अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से सुरक्षा जमा राशि से कटौती कर सकती है। दंड की राशि का निर्णय एमएमटीसी का होगा जिसे ठेकेदार द्वारा प्रतिवाद नहीं किया जाएगा।

21.3 कैंटीन चलाने के दौरान मौजूदा ढांचे/संपत्ति, उपकरणों, फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग्स आदि को हुए नुकसान को ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर उसी जगह तुरंत ठीक करवाया जाएगा।

### 21.4 अपवाद के लिए कटौतियां

कैंटीन के खाद्य पदार्थों, सफाई एवं स्वच्छता की गुणवत्ता के मानक उच्चतम स्तर के होने चाहिए। इसमें असफल रहने पर ठेकेदार पर निम्नलिखित दण्ड लगाए जाएंगे:-

- i) प्रथम अवसर - लिखित चेतावनी 1
- ii) द्वितीय अवसर - लिखित चेतावनी 2
- iii) तृतीय अवसर - 500/- रुपये का दण्ड
- iv) चतुर्थ अवसर - 5000/- रुपये का दण्ड
- v) पंचम अवसर - संविदा का निरस्तीकरण

तथापि, यदि अपवाद सामान्य प्रक्रिया बन जाती है तो उपरोक्त धारा 21.1 के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

## 22. स्वच्छता

22.1 भोजन कक्ष (डाइनिंग हाल), रसोई, कैंटीन परिसर में तथा इसके आसपास जैसे कैंटीन परिसर की स्वच्छता एवं सफाई के लिए ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। गीले तथा सूखे कचरे को दिन में कम से कम दो बार हटाने के लिए भी ठेकेदार अपने कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। एमएमटीसी की संतुष्टि के लिए ठेकेदार कैंटीन के परिसर, कैंटीन हाल, रसोई, सभी फर्नीचर, बर्तनों, फिक्सचर, छत/दीवारों, छत के पंखों, एग्जास्ट पंखों, खिड़कियों तथा जाल सहित रोशनदान तथा इसके शीशे एवं अन्य फिटिंग्स को स्वच्छ, स्वस्थ, हाईजनिक् एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में रखेगा। कैंटीन हाल की मेजों, रसोई की स्लैबों, वाशबेसिन तथा कैंटीन के अन्य हिस्सों को रोजाना दिन की समाप्ति पर संक्रमण हटाने वाले सुंगठित पदार्थों से साफ किया जाएगा। प्रत्येक मील के पश्चात इन स्थानों पर पोंछा लगाया जाएगा। सप्ताह में एकान्तर दिवस(सोमवार, बुधवार, तथा शुक्रवार) पर संपूर्ण कैंटीन परिसर को धोना होगा। आसपास के एरिया को सप्ताह में एक बार, विशेषकर शुक्रवार को झाड़ू लगाया जाएगा। कैंटीन अहाता परिसर में कैंटीन से जुड़े सभी आंतरिक एवं बाहरी ड्रेनेजिज को ठेकेदार द्वारा संक्रमण हटाने वाले पदार्थों/फिनायल का प्रयोग करते हुए साफ किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा कोल्ड स्टोरेज तथा फ्रिजों को सप्ताह में एक बार डिफ्रॉस्ट किया जाएगा। छः माह में नियमित रूप से चूहों तथा अन्य कीट नियंत्रण का कार्य सावधानीपूर्वक किया जाएगा।

22.2 कैंटीन में ड्यूटी पर कर्मचारी आसान पहचान के लिए नाम पट्ट तथा पदनाम सहित साफ सुथरी वर्दी पहनेंगे (ठेकेदार न्यूनतम 2 (दो) सेट उपलब्ध करवाएगा)। फटी वर्दी, चप्पल, अस्त-व्यस्त रूप को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा। कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों के व्यवहार एवं आचार के लिए ठेकेदार जिम्मेवार होगा तथा उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य के समय कोई भी कैंटीन परिसर के बाहर नहीं घूमेगा।

22.3 एमएमटीसी के नामित अधिकारियों द्वारा सैनीटरी जांच के लिए ठेकेदार कैंटीन परिसर को तैयार करेगा।

## 23. दरें

23.1 एक वर्ष की संविदा अवधि के दौरान आदेशानुसार दरें निर्धारित की जाएंगी परंतु कैंटीन प्रबंधन समिति तथा ठेकेदार के बीच आपसी सहमत शर्तों पर इनकी पुनरीक्षा की जा सकती है।

## 24. दैनिक सेवाओं का समय

24.1 भोजन/खाद्य पदार्थों को परोसने के दैनिक समय निम्नलिखित होंगे:-

नाश्ता सुबह 1000 से 1100 बजे

चाय एवं अल्पाहार सुबह 1000 से 1100 बजे तथा शाम 15.00 से 16.00 बजे तक

दोपहर का भोजन 13.30 बजे से 14.00 बजे तक

25. **ठेकेदार की सामान्य जिम्मेदारियां एवं दायित्व**

25.1 ठेकेदार के कर्मचारियों अथवा सदस्यों के प्रति एमएमटीसी की किसी भी प्रकार की देयता नहीं होगी।

25.2 ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी स्वस्थ होने चाहिएं तथा ठेकेदार के खर्च पर प्रत्येक छः माह में उनकी रूटीन स्वास्थ्य जांच करवाई जाएगी।

25.3 कैंटीन स्टाफ के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के उचित सत्यापन के पश्चात ही ठेकेदार उनकी नियुक्ति करेगा। किसी सिविल/अपराधिक मामले में संलिप्त व्यक्ति को कैंटीन में रोजगार के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार के कैंटीन में कार्यरत किसी कर्मचारी के सिविल/आपराधिक मामले में संलिप्त पाए जाने पर संविदा की निरस्ती के साथ-साथ सुरक्षा जमा राशि जब्त की जा सकती है। स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से कैंटीन के सारे स्टाफ के पुलिस सत्यापन का दायित्व तथा लागत का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

25.4 ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि अथवा उसके पर्यवेक्षक स्टॉफ तथा कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन के पश्चात ठेकेदार/फर्म द्वारा जारी किया गया सुरक्षा पास/पहचान पत्र व्यक्तिगत रूप से अपने पास रखना होगा।

26. **एकल मध्यस्थ**

26.1 इस संविदा की संरचना, अर्थ, कार्यक्षेत्र, इस अनुबन्ध के प्रचालन अथवा प्रभाव के कारण अथवा वैधता अथवा इसके उल्लंघन से पार्टियों के बीच होने वाले किसी विवाद अथवा मतभेद का निराकरण एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी)द्वारा नामित एकल मध्यस्थ की मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। उक्त मध्यस्थता की कार्यवाही पर आर्बिट्रेशन एवं कांसिलिएशन अधिनियम,-1996 के प्रावधान लागू होंगे। नई दिल्ली मध्यस्थता स्थान होगा।

27. **समाधान/मध्यस्थता**

27.1 एमएमटीसी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी कारण से यदि कोई विवाद अथवा मतभेद हो जाते हैं तो सौहार्दपूर्ण हल तक पहुंचने की मंशा से तथा एमएमटीसी के सीएमडी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निपटारे के लिए दोनों पक्ष बातचीत करेंगे।

27.2 किसी विवाद अथवा मतभेद तथा मध्यस्थता के लिए संदर्भ का अस्तित्व न होने पर ठेकेदार पूरी निष्ठा से तथा व्यावसायिक रूप से बिना किसी रुकावट के अपना कार्य करता रहेगा तथा ठेकेदार को देय भुगतान को उक्त विवाद अथवा मतभेद के कारण तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक उक्त भुगतान मध्यस्थता का मामला न हो।



27.3 मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्ष विवादित (पेंडेंटी-लाईट) हित पाने के हकदार नहीं होंगे।

28. **क्षतिपूर्ति**

28.1 सेवाओं के निष्पादन अथवा सांविधिक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन, कमी, कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित अथवा के कारण ठेकेदार के किसी कर्मचारी अथवा किसी तृतीय पक्ष द्वारा एमएमटीसी के विरुद्ध किसी रूप में लाए गए अथवा किए गए सभी मुकदमों, हानियों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों तथा देयताओं से तथा के प्रति ठेकेदार द्वारा एमएमटीसी को सुरक्षित किया जाएगा।

28.2 सभी मुकदमों, हानियों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों तथा लागत एवं व्यय, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि सहित किसी प्रकृति अथवा प्रकार की देयता से एवं के प्रति निगम तथा इसके अधिकारियों को ठेकेदार द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

29. **अप्रत्याशित घटना**

29.1 इस संविदा के अस्तित्व के दौरान किसी भी समय युद्ध, युद्धस्थिति, सेना की कार्रवाई, सिविल कमोशन, तोड़-फोड़, संगरोध, प्रतिबंध, दैविक आपदा तथा सरकारी आदेश (निर्यात तथा आयात के निषेध तक सीमित नहीं के सहित) आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, हड़ताल अथवा किसी श्रमिक समस्या, प्रतिबंध आदि के कारण कोई भी पक्ष यदि इस संविदा के अंतर्गत किसी भी दायित्व को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निष्पादित करने में अक्षम होता है तो जब तक उक्त परिस्थितियां बनी रहती हैं तब तक की अवधि के दौरान किन्हीं दायित्वों को पूरा करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाएगा। किसी किश्त अथवा सामान के आग की सुपुर्दगी के संबंध में किसी प्रकार की छूट/समय विस्तार को शेष सुपुर्दगियों के संबंध में छूट/समय विस्तार नहीं माना जाएगा।

29.2 जो पक्ष वर्तमान संविदा के अंतर्गत इसके दायित्वों को पूरा करने में अक्षम रहता है तो उसे धारा 29.1 में वर्णित किन्हीं कारणों के होने के 15 दिन के अंदर दूसरे पक्ष को संविदा के निष्पादन करने से रोकने वाली परिस्थितियों के विद्यमान रहने अथवा समाप्त होने की सूचना देनी होगी।

29.3 अप्रत्याशित घटना के कारण लम्बित संबंधित दायित्वों के निष्पादन के समय को तब उन कारणों के बने रहने की अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा।

30. **शांतिपूर्वक तरीके से स्वामित्व सौंपना**

30.1 कैंटीन परिसर एमएमटीसी के अधिकार की संपत्ति होगी तथा किसी भी समय कैंटीन परिसर पर ठेकेदार का कोई दावा/नियंत्रण नहीं होगा। संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में सभी अधिकार सदैव एमएमटीसी के पास रहेंगे।

30.2 ठेके के पूरा होने/समाप्त होने पर ठेकेदार का अब कर्तव्य होगा कि वह शांतिपूर्वक एवं खाली स्थिति में परिसर सौंपने के साथ-साथ शांतिपूर्वक तरीके से सभी उपकरणों/उपस्कर, फर्नीचर एवं फिक्सचर तथा फिटिंग्स भी सौंप दे तथा उनके द्वारा तैनात किए गए सभी व्यक्तियों को हटाने के

साथ-साथ वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अवरोध/रूकावट/समस्या उत्पन्न नहीं करेगा।

31. **दायित्वों का अंतरण**

31.1 ठेकेदार की मृत्यु, अशक्तता, दिवालियापन की स्थिति में अथवा किसी अन्य कारण अथवा परिस्थितियों में निम्नलिखित द्वारा उन शर्तों व अनुबंधों पर जो जनहित में सीएमडी, एमएमटीसी उचित समझे, सभी दायित्वों का वहन किया जाएगा:-

क) एकल स्वामी के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी

ख) कंपनी अथवा फर्म के मामले में अगला साझीदार

32. **लागू कानून एवं न्यायाधिकार क्षेत्र**

32.1 इससे संबंधित सभी मामले सारभूत एवं प्रक्रिया संबंधी दोनों रूपों में उस समय लागू भारतीय कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा दिल्ली में भारतीय न्यायालयों के एकल न्यायाधिकार में होंगे।

33. दस्तावेजों पर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है:-

श्री एस. भास्कर  
अपर महाप्रबंधक(कार्मिक)  
एमएमटीसी लिमिटेड,  
कोर- 1, स्कोप काम्पलेक्स  
नई दिल्ली -110003  
टेलीफोन संख्या: 24381309

श्री अरविंद कुमार  
वरिष्ठ प्रबंधक(कल्याण)  
एमएमटीसी लिमिटेड,  
कोर -1, स्कोप काम्पलेक्स  
नई दिल्ली - 110003  
टेलीफोन संख्या 24381444

**नियम व शर्तें तथा कार्य का उद्देश्य**

**अ. कैंटीन सेवाओं विवरण**

1. एमएमटीसी के स्कोप काम्प्लेक्स कोर 1 (सभी सात तालों पर) में स्थित कार्यालय के के लगभग 480 कर्मचारियों के लिए चाय/ पेय-पदार्थ/ जल-पान/ लंच की सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

**ब. एमएमटीसी में आयोजित किये जाने वाली मीटिंग्स, कान्फ्रेंस आदि के लिए कैंटीन/कैटरिंग सेवा प्रदान करने से संबंधित रफ एस्टिमेट परिशिष्ट 1 में दिया गया है।**

**स. एमएमटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :**

- 1) पहली मंजिल पर कैंटीन के लिए फर्निशड जगह उपलब्ध है। जिसमें कुकिंग काउंटर, चिमनी, एग्जास्ट फेन, अलमारी आदि की सुविधा पहले से ही है।
- 2) वाटर कूलर आर.ओ. सिस्टम के साथ, फ्रीज़
- 3) बिजली के उपकरणों CFL लैम्प/ ट्यूब लाईट से लैस।
- 4) जल आपूर्ति
- 5) बिजली आपूर्ति ( ठेकेदार को आवश्यकतानुसार खर्च करने पर बिल अदा करना होगा)
- 6) खाली LPG गैस सिलिंडर

7) रसोई उपकरणों में शामिल हैं, सभी नए बर्नर, झुकने वाला पैन 90 लीटर ।, झुकने वाला कुकर 90 लीटर।, पफ़्र के साथ चपाती प्लेट, डोसा बनाने कि जगह, ड्रेन थ्रू ग्रेटिंग बास्केट सहित, एसएस दीवार अलमारियों, डूब के साथ एस एस काम की मेज, एसएस एग्ज़ास्ट हुड, रेनोवेटिड डिश वाश एरिया डबल स्टेक वाश टेबल के साथ, छींक गार्ड के साथ बेनमेरी सहित सेवा क्षेत्र, ताजा हवा प्रवेश और निकास की व्यवस्था, नव स्थापित गैस पाइप लाइन, उच्च दबाव नियामक, गैस बैंक आदि सहित पुनर्निर्मित हवा वितरण क्षेत्र.

**द. अनुबंधित कार्य का विस्तृत व्योरा**

- 1) कर्मचारियों को लंच/चाय/जलपान सर्व करना

- 2) स्कोप काम्प्लेक्स के सातों फ्लोर पर लगभग 480 कर्मचारियों के लिए तैयार लंच, चाय और जलपान की आपूर्ति कराना जो निम्न है:
- लंच\* प्रथम तल पर स्थित कैंटीन में लगभग 100-150 कर्मचारियों के लिए
  - चाय/काँफी स्कोप में स्थित ऑफिस के कर्मचारियों के लिए
  - निगम ऑफिस स्कोप में स्थित सभी कर्मचारियों के लिए तैयार/ प्रिकूक्ड जलपान उपलब्ध करवाना। वस्तुओं के ब्रांड/ गुणवत्ता से संबन्धित लंच /जलपान की उदाहरण के लिए एक सूची परिशिष्ट 2 में संलग्न की गयी है।
- (\* ) बनाए गए विकल्पों के आधार पर संख्या परिवर्तित हो सकती है।

- खाना पकाने के लिए केवल कुकिंग गैस/ पीएनजी का ही इस्तेमाल किया जायेगा। कुकिंग गैस/ पीएनजी की व्यवस्था तथा उसका भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- कांट्रेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह कैंटीन में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों जैसे डीप फ्रीज़र्स, सॉफ्ट ड्रिंक चीलर्स इत्यादि की व्यवस्था खुद करेगा। खाना बनाने वाले उपकरण, बर्तन, छुरि-कांटा आदि पहले से मौजूद है, जिसे कांट्रेक्टर को प्रदान कर दिया जाएगा। तराजू, कुकिंग उपकरण, बर्तन, खाना सर्व किए जाने वाले बर्तन, प्लेट, चम्मच, गिलास आदि की व्यवस्था कांट्रेक्टर को खुद करनी होगी। एमएमटीसी द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक उपकरण को कांट्रेक्ट खत्म होने के बाद कांट्रेक्टर को सही सलामत वापस लौटाना होगा। उपक्रम द्वारा निर्गत किए गए किसी भी उपकरण के टूट जाने, खराब हो जाने की स्थिति में कांट्रेक्टर से उसकी कीमत वसूल की जाएगी।
- कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों व अन्य वस्तुओं के प्रबंध करने की जिम्मेवारी कांट्रेक्टर की होगी। सभी खाने-पीने की वस्तुओं की आपूर्ति या उत्पाद स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर शुद्ध और अच्छे किस्म के कच्चे माल से तैयार की जाएगी ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य के मानकों को कायम किया जा सके। यदि किसी कारणवश कोई खाद्य पदार्थ सस्ता या घटिया क्वालिटी या अस्वास्थ्यकारी परोसे जाते पाया जाता है तो एमएमटीसी को यह अधिकार है कि कैंटीन की खान-पान सेवा/आपूर्ति को प्रतिबंधित कर देगा और कांट्रेक्टर के जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था कर लेगा। शराब या तंबाकू के उत्पाद कैंटीन में बेचना निषेध है।
- कैंटीन में बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों का मीनू, रेट लिस्ट आदि को प्रदर्शित करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से कांट्रेक्टर की होगी। कांट्रेक्टर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कैंटीन के कार्यों का समय-समय पर जांच करने की जिम्मेदारी एमएमटीसी के संबन्धित अधिकारी की होगी तथा स्टोर-रूम, गैलरी, भोजन कक्ष आदि के रख-रखाव का निरीक्षण करने का भी अधिकार इनको होगा। कांट्रेक्टर को एमएमटीसी के निर्णयों को मानना पड़ेगा तथा किसी भी मीटिंग के लिए बुलाये जाने पर उपस्थित होना पड़ेगा। एमएमटीसी के संबन्धित अधिकारी को यह अधिकार है कि वह कांट्रेक्टर द्वारा आपूर्ति कराई जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता और मात्रा की जांच किसी भी समय करे। वस्तुओं के वजन की जांच के लिए कांट्रेक्टर को एक तराजू (स्टोर रूम में रखा जाये) उपलब्ध कराना होगा।



एमएमटीसी में उपभोग होने वाले लंच, जलपान, चाय, कोल्ड-ड्रिंक इत्यादि का अनुमानित विवरण

क्रमांक	स्थल	मासिक अनुमानित खपत (संख्या में)
A. लंच	a) कर्मचारियों को बुफ़े / पैक लंच/ थाली इत्यादि के रूप में लंच सर्व करना	8000
	b) मीटिंग आदि में विशेष पैक लंच सर्व करने की व्यवस्था करना।	500
	c) मीटिंग के लिए स्पेशल बुफ़े की व्यवस्था करना जिसमें सूप, डेजर्ट, i) शाकाहारी ii) मांसाहारी व्यंजन उपलब्ध कराना	100 100
B. पेय पदार्थ	a) चाय	18000
	b) कॉफी	2000
	c) वेज़ सूप	2000
	d) जूस	2000
C. जल-पान	a) समोसा	2000
	b) कचौड़ी	2000
	c) पनीर पकौड़ा	2000
	d) पनीर कटलेट	2000
	e) वेज़ सैंडविच	2000
	f) इडली-सांभर	2000
	g) सांभर-बड़ा	2000
	h) ऑमलेट	1000
	i) मिश्रित वेज़ पकौड़ा	3000
	j) ब्रेड टोस्ट (बटर/जाम)	2000



**लंच/स्नैक्स मीनू का विस्तृत विवरण**

**1.(क) कर्मचारियों के लिए भोजन**

(कैंटीन प्रबंधन कमिटी के विचार विमर्श से)

विभिन्न व्यंजन	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार
सब्जी (100 ग्राम)	मटर पनीर	कढ़ी पकौड़ा	कोफ़ता/आलू मटर	मिक्स वेज़	काबुली चना
दाल(100 ग्राम)	राजमा (250 ग्राम)	मौसमी सब्जी	दाल	पीला दाल	मौसमी सब्जी
चावल (100 ग्राम)	जीरा राइस (बासमती)	पक्का चावल (बासमती/ गोल्डेन सेला)	मटर/लेमन राइस	वेज़ राइस (गोल्डेन सेला)	चाइनिज राइस
रोटी	चपाती (आटा तवा रोटी)- 2 नग फ़वायल पेपर में लिपटा हुआ)	वही	वही	चपाती	चपाती
दही/रायता (100 ग्राम)	दही/रायता	दही/रायता	दही/रायता	दही/रायता	दही/रायता
स्वीट्स	खीर/हलवा (100 ग्राम)	मौसमी फल	गुलाब जामुन इत्यादि	मौसमी फल	आईस क्रीम (50 ग्राम, (मदर डेयरी )
कंप्लीमेंट्री	सलाद/पापड़/आचार	सलाद/पापड़/अचार	सलाद/पापड़/अचार	सलाद/पापड़/अचार	सलाद/पापड़/अचार



परहेज़ी खाना	सीजनल कट फ्रूट, स्प्राउट्स, सब्जियाँ, वेज़ सलाद, ब्रेड सैंडविच इत्यादि।
--------------	---

**1 (ब) मीटिंग/ट्रेनिंग के लिए स्पेशल पैक लंच का मीनू**

उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थों के अलावा सब्जी की एक और वेराइटी, स्पेशल सलाद तथा 50 ग्राम सीजनल फ्रूट (कटे हुए) सर्व किया जाएगा।

परिशिष्ट-॥ जारी.

**2) जलपान/ पेय पदार्थ (दिन में दो बार-सुबह/दोपहर):प्रत्येक दिन दोनों आइटम अलग-अलग रहेगा। (कैंटीन प्रबंधन समिति के परामर्श से)**

पेय-पदार्थ	a चाय- 100 मिली. b कॉफी- 100 मिली. C वेज़ सूप-150 मिली. 1 जूस-150 मिली। (फ्रेश फ्रूट/वेजिटेबल्स)
जलपान	a समोसा (1 पीस) 100 ग्राम
	B कचौड़ी (1पीस) 100 ग्राम
	C पनीर पकौड़ा(1पीस) 50 ग्राम
	D पनीर कटलेट (1 पीस) 75 ग्राम
	E वेज़ सैंडविच- 2 पीस
	F 100 ग्राम. सांभर के साथ इडली (2 पीस)
	G 100 ग्राम सांभर के साथ बड़ा (2 पीस)
	H ऑमलेट (1 अंडा+2 ब्रेड स्लाइस)
	I मिक्स वेज़ पकौड़ा (100 ग्राम)
	J ब्रेड टोस्ट (बटर/जाम-10 ग्राम+2 स्लाइस)

	K ब्रेड पकौड़ा
--	----------------

3) मीटिंग्स/कान्फ्रेंस इत्यादि। (सूचक) (मीटिंग आदि के लिए स्पेशल बुफे)

**सूप (कोई एक)**

टोमॅटो सूप  
वेज़. गर्म और खट्टा  
पालक की क्रेमे  
मिक्स वेज़ सूप  
मशरूम सूप

**वेज़ करी (कोई दो)**

पकौड़ी मशाला,  
पालक चना दाल,  
आलू मटर मशाला,  
लौकी कोफ़ता,  
पालक कोफ़ता करी,  
आलू बरी ग्रेवी,  
मशलेदार लौकी चना  
दाल,  
कढ़ी पकौड़ा,

**सलाद (कोई दो)**

माइक्रोनी सलाद  
ककड़ी/खीरा का सलाद  
हारा सलाद

**दही से बने व्यंजन**

(कोई एक)  
बूंदी रायता,  
मिंट रायता  
ककड़ी/खीरा रायता  
मिक्स वेज़ रायता

**पनीर (कोई एक)**

पनीर  
मटर पनीर  
मलाई पनीर  
झालफ़रेजी  
कढ़ाई कोफ़ता  
पालक पनर  
पनीर कोरमा  
शाही पनीर  
कढ़ाई पनीर

**दाल (कोई एक)**

दाल मखनी  
दाल पंचरंगी  
दाल चना मशाला  
छोले ग्रेवी  
पीला दाल ग्रेवी

**मिठाइयाँ (कोई दो)**

आइसक्रीम (वनीला)  
आइसक्रीम (स्ट्रॉबेरी)  
गुलाब जामुन  
मूंग दाल का हलवा

**सूखी सब्जी (कोई एक)**

मिक्स वेज़ जलफ़्रेजी  
आलू गोभी मशाला  
आलू मेथी  
उबला हुआ सब्जी  
भिंडी मशाला  
टोमॅटो स्ट्रप्स

**पुलाव (कोई एक)**

प्लेन राइस  
ज़ीरा राइस  
मटर पुलाव  
वेज़ पुलाव

**रोटियाँ (कोई तीन)**

रोटी, खस्ती रोटी, मिस्सी रोटी,  
लच्छा पराठा, प्दीना पराठा

**मांसाहारी (कोई एक)**

चिकन कोरमा, पालक चिकन  
चिकन दो प्याज़ा, मेथी चिकन  
चिकन मशाला, फिश मशाला  
मटन मशाला, फिश करी  
मटन मशाला, मटन कोरमा

साथ मे: अचार, पापड़, चटनी

परिशिष्ट-॥ जारी

**ब्राण्ड/क़्वालिटी/वस्तुओं के उत्पादक का नाम**

क्रम सं.	आइटम	क़्वालिटी/ब्रांड
	<b>डेयरी उत्पाद</b>	
1.	दुग्ध- टोंड (पाउच)	100% मिल्क फूड/वीटा/मदर डेयरी
2.	बटर	अमूल/ब्रिटानिया/वीटा/वीवा
3.	पनीर से निर्मित पदार्थ	अमूल/ब्रिटानिया/ वीटा/वीवा
4.	गाढा दुग्ध	मिल्क मैड/ नेस्ले/ मदर डेयरी/
5.	आइस क्रीम	मदर डेयरी/क़्वालिटी वाल्स/वादीलाल/
6.	दही	पैक (100) नेस्ले की दही/ मदर डेयरी/अमूल
	<b>बेकरी उत्पाद</b>	
1.	ब्रैड	हार्वेस्ट गोल्ड/ ब्रिटानिया/ मॉडर्न/पर्फेक्ट
2.	बिस्कुट	ब्रिटानिया/पाले/सनफीस्ट/लिटल हार्ट/फिफ्टी फिफ्टी/गुड डे/बॉन बॉन
	<b>प्रोविज़न और स्टोर</b>	
1.	आटा (साबूत आनाज़)	अच्छा क़्वालिटी आशीर्वाद एगमार्क का/ आहार/ नेचर फ़ेश/शक्ति भोग
2.	बासमती चावल	अच्छी क़्वालिटी का बासमती चावल (रेड फोर्ट)
3.	सुगर क्यूब	दौराल्ला और उसके समरूप
4.	लो कैलोरी स्वीटनर (पैकेट/टेबलेट)	इक्वल/नेचर फ़ेश/सुगर फ्री
5.	टी बैग्स	ताज महल/टाटा टेटले/लिप्टन/
6.	कॉफी	नेस्ले क्लासिक
7.	जाम	किसान/टॉप/हिंज/कैच/
8.	आचार	किसान/कैच/पञ्च रत्ना
9.	रीफाइंड ऑइल (लो फैट कंटेंट)	गोल्ड सील(लिप्टन)/पोस्टमैन (हिंदुस्तान लिवर)/स्वीकार/ सनफ़्लावर/सफ़ोला
10.	टोमैटो/चिल्ली/ सोवा सौस	मैगी/किसान/टॉप्स
11.	गरम/चाट/ घना मस्का- कस्तुरी मेथी. टेबल साल्ट. धनिया/ चिल्ली हल्दी पाउडर, काली मिर्च इत्यादि।	एमडीएच का अच्छा क़्वालिटी/कैच/एगमार्क एमटीआर- आईएसआई मार्क
12.	कस्टर्ड पाउडर	ब्राउन और प्वाइजन/ वेक फ़िल्ड

13.	लौंग, दाल चीनी, ईलाईची, और अन्य गर्म मशाले इत्यादि।	एमडीएच का बढ़िया क्वालिटी वाला/कैच/एगमार्क एमटीआर- आईएसआई मार्क
14.	दालें- डाइस और बीन्स इत्यादि।	सबसे बढ़िया क्वालिटी
	<b>फल और सब्जियाँ</b>	
1.	फ्रेश फ्रूट्स/फ्रेश वेजेटेबल्स या फ्रीज़ में रखा हुआ	फ्रेश और बढ़िया क्वालिटी वाला- सफल/मदर डेयरी का फ्रीज़ में सुरक्षित रखा हुआ आइटम

उपरोक्त वर्णित ब्राण्ड उपलब्ध न होने पर ठेकेदार को उसके जगह पर वैकल्पिक आइटम का उपयोग प्रभारी-अधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर कर सकता है।

अनुलग्नक-II

### कैंटीन सेवाएँ- टेक्निकल बीड

#### वांछित योग्यताएँ

1. एजेंसी
    - a) नाम \_\_\_\_\_
    - b) प्रकार: लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप/ एसएसआई/ एनजीओ/प्रोपराइटर/  
(कृपया पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)
    - c) पंजीकृत पता \_\_\_\_\_
    - d) दिल्ली/एनसीआर स्थित कार्यालय का पता \_\_\_\_\_
    - e) संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति
      - a.. नाम और पदनाम \_\_\_\_\_
      - b . टेलीफोन नं. \_\_\_\_\_ मोबाइल \_\_\_\_\_
      - c. ई मेल आई डी \_\_\_\_\_
- 
2. पैन/जीआईआर नं. \_\_\_\_\_
  3. टिन नं. \_\_\_\_\_
  4. सेवा कर रजिस्ट्रेशन नं. \_\_\_\_\_
  5. ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नं. \_\_\_\_\_
  6. ईएसआई रजिस्ट्रेशन नं. \_\_\_\_\_  
(क्रम सं. 2 से 6 तक के कागजाती प्रमाण की प्रति संलग्न करें)
  7. पिछले 4 साल का वार्षिक टर्नओवर

(30 लाख से ज्यादा होने चाहिए)

1. 2014-15 \_\_\_\_\_
2. 2013-14 \_\_\_\_\_
3. 2012-13 \_\_\_\_\_
4. 2011-12 \_\_\_\_\_

कृपया संबन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। (अर्थात पी&एल ए/सी/सीए द्वारा प्रमाणित दस्तावेज़ और आईटीआर की प्रति)

8. संबन्धित कार्य क्षेत्र में पिछले चार साल का अनुभव

- (1) बोली लगाने वाले को कम से कम 250 कर्मचारियों के साथ प्रतिष्ठित संगठन के लिए कैंटीन चलाने का अनुभव हो या 250 लोगों के लिए 20 या उससे अधिक कैटरिंग सेवाएँ प्रदान की हो।
- (2) कैटरिंग स्टाफ को कार्यालय परिसर में सेवा प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए।

(कृपया अनुभव से संबन्धित कागजातों की प्रति और ऑफिस परिसर में स्टाफों की तैनाती तथा सेवा प्रदान करने से संबन्धित प्रमाणपत्र संलग्न करें।)

9. अर्नेष्ट मनी का व्यौरा :

राशि रु. 1,00,000/-

डिमांड ड्राफ्ट नं. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ बैंक \_\_\_\_\_

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

मुहर

## कैंटीन सेवाएँ- वित्तीय बीड

	दर प्रति नग (कर सहित)
<b>A. लंच</b>	
<p>कर्मचारियों को लंच में बुफ़े/ पैक लंच/ थाली सर्व करना यथा;</p> <p><b>शाकाहारी:</b></p> <p>a) चार रोटियाँ b) एक सब्जी c) पक्का चावल d) एक दाल e) एक मिठाई f) दही/रायता g) सलाद</p> <p><b>मांसाहारी</b></p> <p>a) चार रोटियाँ b) एक सब्जी c) पक्का चावल d) चिकेन (ग्रेवी) e) मटन (ग्रेवी) f) फिश (ग्रेवी) g) एक मिठाई h) दही/रायता i) सलाद</p>	
<b>B. सम्मेलन/प्रशिक्षण के लिए स्पेशल पैक लंच</b>	
<p><b>शाकाहारी:</b></p> <p>a) दो रोटियाँ b) पराठें या c) नान d) पनीर (कोई एक आईटम) e) एक मौसमी सब्जी f) जीरा राइस/पुलाव</p>	

<p>g) एक दाल h) दो मिठाई i) दही/रायता j) सलाद (पापड़/आचार/टिथू पेपर्स/माउथ फ्रेशर/टूथ पीक्स फ्री में मुहैया कराई जाएगी।)</p>	
<p><b>मांसाहारी:</b></p> <p>a) दो रोटियाँ b) पाराठे या c) नान d) पनीर की (कोई एक आइटम) e) एक मौसमी सब्जी f) जीरा राइस/ पुलाव g) चिकेन (ग्रेवी) h) मटन (ग्रेवी) i) फिश (ग्रेवी) j) दो मिठाई k) दही/ रायता l) सलाद (पापड़/आचार/टिथू पेपर्स/माउथ फ्रेशर/टूथ पीक्स फ्री में मुहैया कराई जाएगी।)</p>	
<p><b>C. बोर्ड की बैठक/सम्मेलन के लिए स्पेशल बुफ़े: शाकाहारी:</b></p> <p>a) सूप b) पनीर (एक आइटम) c) एक मौसमी सब्जी d) दाल e) पुलाव जैसा (एक आइटम) f) ब्रैड से बना (कोई तीन) g) पाराठे h) नान i) रोटी j) मिस्सी रोटी/खस्ता रोटी k) दो मिठाईयां l) दही/रायता</p>	



<p>m) सलाद n) आचार/पापड</p> <p><b>मांसाहारी:</b></p> <p>a) सूप b) पनीर (एक आइटम) c) एक मौसमी सब्जी d) चिकेन (ग्रेवी) e) मटन (ग्रेवी) f) फिश (ग्रेवी) g) पुलाव जैसा (कोई एक आइटम) h) ब्रैड से बना (कोई तीन) i) पाराठे j) नान k) रोटी l) मिस्सी रोटी/ खस्ता रोटी m) दो मिठाइयाँ n) दही/रायता o) सलाद p) आचार/पापड</p>	
<p><b>D. पेयपदार्थ :</b></p> <p>a) चाय b) कॉफी c) वेज़ सूप d) जूस</p>	
<p><b>E. सैक्स/ जलपान</b></p> <p>a) समोसा b) कचौड़ी c) पनीर पकौड़ा d) पनीर कटलेट e) वेज़ सेंडविच f) इडली सांभर g) वडा सांभर h) ऑमलेट i) मिक्स वेज़ पकौड़ा j) ब्रैड टोस्ट k) ब्रैड पकौड़ा</p>	

--	--

ठेके से संबन्धित दस्तावेजों में वर्णित नियम व शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

मुहर



## MMTC Limited

Core-I, SCOPE Complex, 7 Lodi Road, New Delhi-110 003,

Tel.: 24362200, E-mail: [mmtc@mmtclimited.com](mailto:mmtc@mmtclimited.com) Website: [www.mmtclimited.gov.in](http://www.mmtclimited.gov.in)

---

### NOTICE INVITING TENDERS (NIT) FOR CANTEEN SERVICES

---

#### TENDER DOCUMENT

#### Sub : Tender enquiry for providing canteen services in MMTC

MMTC Limited (MMTC), a Government of India Enterprise, invites '**Bids**' for canteen services at its office located at SCOPE Complex, Lodhi Road & MMTC Training Centre located at MMTC Colony, Aurobindo Marg, New Delhi-17 from reputed agencies fulfilling the criteria laid down in Techno-commercial bid format at Annexure-II. The job specifications and scope of work are given in Annexure-I. The format for Financial Bid is at Annexure-III. The contract will initially be awarded for period of one year, which shall commence from the date of signing of the agreement and the agreement may be renewed by MMTC on such terms and conditions as mutually may be agreed between the parties.

#### Time schedule of Tender related events:

Tender No.	:MMTC/Wel/2016/01
Date of Issue	:01.04.2016

(Please sign and stamp on each page)

**Last Date & Time for Bid submission**

**:21.04.2016, 1430 Hours**

**Eligibility & Technical bids Opening Date & Time**

**:21.04.2016, 1530 Hours**

**EMD Amount**

**:Rs.1,00,000/-**

1. The bidders are requested to quote their most competitive rates as are offered to other Government Organisations. The Bids are to be submitted in a sealed cover addressed to Shri Subhash Bhasker, Addl. General Manager(P), MMTC Limited, containing the following :

- i. Earnest Money in a separate sealed cover supersubscribing "Earnest Money", Tender No. & Bidder Name.
- ii. Technical Bid in a separate sealed cover supersubscribing "Technical Bid", Tender No. & Bidder Name.
- iii. Financial Bid in a separate sealed cover supersubscribing "Financial Bid", Tender No. & Bidder Name quoting unit rate of items.

2. The above bid(s) are to be dropped in Tender Box marked with Tender Number and placed at 2<sup>nd</sup> Floor, MMTC Limited, Core 1, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 on or before due date and time specified in Tender Notice. Any bid received after the prescribed deadline shall be rejected outright. No alternative offer shall be considered.

3. The eligibility & technical bids will be opened on the same date i.e. 21.04.2016 at 1530 Hours in the presence of the authorized representatives of the bidders present. Date of opening of financial bids of such firms which meet the prescribed eligibility criteria will be notified separately.

4. Earnest Money (EMD) of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh only) should accompany the Eligibility Criteria Bid document (Annexure-II). The EMD shall be paid in the form of a Demand Draft/Banker Cheque issued by a nationalized bank/Scheduled commercial bank in favour of MMTC Limited payable at New Delhi. Such EMD shall not carry any interest. Any bid not accompanied by requisite EMD shall be deemed to be invalid and will be summarily rejected by MMTC.

4.1 Small scale units registered with National Small Industries Corporation (NSIC) shall be allowed the facilities of exemption from payment of EMD initially and price preference of up to 15% over the large scale units as per directives of Ministry of Micro Small and Medium Enterprise. The bidder should enclose a copy of registration with

NSIC. However, on selection of such units in the tender process an amount of Rs.1,00,000/- shall have to be furnished as security deposit in the form of a Demand Draft/Banker Cheque issued by a nationalized bank/Scheduled commercial bank in favour of MMTC Limited payable at New Delhi. Such security deposit shall not carry any interest during the period of the contract.

5. The EMD shall be forfeited if the bidder withdraws his bid during the period of bid validity.

6. The EMD of successful bidder shall be retained towards security deposit for the performance of the contract and shall only be refunded after satisfactory completion of the contract period. However such EMD shall not carry any interest. The EMD of unsuccessful bidders will be returned after award of work to the successful bidder.

7. The bid shall remain valid for a period of 3 months from the date of opening of the technical bid.

8. The Bidder should inspect the site before filling in and submitting the tender to get fully acquainted with the scope of work as no claim whatsoever will be entertained for any alleged ignorance thereof. Tender must be submitted in original and without making any additions, alternations, and as per details given in other clauses given hereunder. The requisite details shall be filled in by the Bidder in the Tender Document wherever required.

9. The contractor will have to employ the required staff at his own cost and bear all the statutory and all other liabilities for running the canteen. The contractor will have to pay the minimum wages to the engaged staff, as per minimum wages Act., notifications issued from time to time, EPF and Bonus etc. as per Employees Provident Fund Act and Bonus Act amended from time to time.

10. MMTC shall not in any manner be treated as the employer of these employees or concerned with the terms of their employment or conditions of their services since the relationship of employer and employees shall always be considered to be between the contractor and such persons, as will be employed by him. While engaging these employees the contractor will make these conditions clear to them categorically and in writing, and their acceptance of these shall be communicated to MMTC also, categorically and in writing, and their acceptance of these terms shall be communicated to MMTC also.

11. The contractor shall obtain license under the Contractor Labour (Abolition and Regulation) Act 1970 (hereinafter referred as the Contractor Labour Act) and all other requisite licenses at his own cost from the Appropriate Authorities and comply with the terms and conditions of the license(s) and all other relevant and necessary provisions of the contractor labour Act and the Rules framed there-under/ all such other provisions of laws in any enactment or otherwise laid down by an appropriate authority from time to time, it being clearly understood and agreed upon that the entire responsibility for compliance thereof shall always be of the contractor. The contractor shall be fully responsible for any compensation etc. in case of any injury / casualty or mishap to any employees of the canteen during canteen working hours. Contractor must adhere to the health and safety regulations prevalent as per the local rules, deploy personnel who are medically fit to carry out the work, properly qualified, trained and adequately experienced and supervised.

12. Under no circumstances any of the contractor's employees will stay in the canteen premises beyond canteen hours after closing the canteen. He will ensure that the canteen rooms are properly locked and secured during closed hours. The access to the space allotted to the contractor will be as per the conditions and in the mode as prescribed and regulated by MMTC from time to time which will be binding on him and his employees. MMTC reserves the right to inspect the premises allotted to the contractor including the canteen store at any time.

13. Under exceptional circumstances MMTC reserves the right to change any term and condition as and when warranted at its sole discretion.

14. The contractor shall not in any circumstance take on or sub-contract any work / contract from or to any other party. In case the contractor is found having sub-contracted this contract, the contract will be automatically terminated without any notice and security deposit will be forfeited.

15. MMTC reserves the right to annul the bidding process at any time prior to award of contract including rejection of any or all bids after the same have been received, without thereby incurring any liability to the affected bidder and shall not be under any obligation to inform the affected bidder(s) regarding its action.

16. MMTC reserves the right to accept and/or reject any bid and to cancel the bidding process at any time and reject all bids, at any time prior to placement of order, without thereby incurring any liability. This Tender Document is being issued with no financial commitment

and this office reserves the right to change or vary any part thereof at any stage. MMTC also reserves the right to withdraw the Tender Document should it be so necessary at any stage.

17. RATES AND PRICES

17.1 Bidders should quote the rates in the format given at Annexure-III. Incomplete bids will be summarily rejected.

17.2 Rates quoted shall be inclusive of all statutory duties and taxes (including excise and customs) Sales Tax, Service Tax, VAT etc. if applicable and MMTC shall not entertain any other claim on any account during the pendency of the contract. Price quoted shall be firm and any variation in rates, prices or terms during validity of the offer shall result in forfeiture of the EMD.

17.3 No additional freight or any other charges, etc, would be payable by MMTC to the contractor.

17.4 The bidder shall charge the competitive rates for branded items of snacks / cold drinks, juice, biscuits etc. not in any case exceeding the MRP printed on the item.

17.5 The prices of articles can only be revised during the operational period of contract including the extended period if any with the prior approval of MMTC. Changes can be made in pre-approved menu with the written permission of the MMTC.

18. TERMS OF PAYMENT

18.1 The Canteen will be operated on “cash and carry basis”, for supply to MMTC employees, payment will be released on monthly basis after deduction of TDS at

applicable rates within a fortnight after receipt of bills and certification by authorized MMTC Officer that the services provided during the month are satisfactory.

18.2 Supply of items on credit basis to any personnel would be purely on the risk of the Contractor and MMTC will not be responsible in any manner for realisation of dues from any worker/personnel using the services of the canteen. Any problem in this regard may be however reported to Canteen Management Committee for feasible help. No altercation or manhandling of the personnel is to be resorted to by contractor or his personnel in this regard.

19. ELIGIBILITY CRITERIA (in the format at Annexure-II)

19.1 The Bidder must have Average Financial turnover of Rs.30 lakhs during the last four financial years (Bidder to submit documentary proof in support of this claim and also submit ITR copy for last two financial years).

19.2 Bidder must be registered with Department of Sales for Service Tax with any State/ Central Government.

19.3 Bidder must have a valid D-VAT, TIN number, PAN Number, PF/ESI registration.

19.4 Bidder should be in the field of catering / hotel business and should provide evidence of having smoothly run a hotel for past four year or smoothly run an office canteen for Public Sector Undertaking / Government establishment or a reputed private establishment for minimum 250 employees or should have provided at least 20 catering services of 250 persons in the last four years.

19.5 The firm should be in existence for a minimum period of last 4 years.



19.6 The bidder should enclose copies of documentary evidence in support of all above failing which the bid will be summarily rejected.

19.7 The Bidder should have a team of sufficient experienced cooks, bearers and supervisors to ensure best quality of food/eatables, service and shall furnish the details to support this claim.

19.8 The Bidder must adhere to the health and safety regulations prevalent as per local rules.

19.9 The Bidder cannot take up assignment for supplying food items from MMTC Canteen premises to outside customers.

19.10 Qualification of tender will be based on proof of past experience, performance, financial capability, resource availability, which should form the technical bid. The technical bid of the bidder would be qualified by a Committee formed for this purpose. The commercial offers of technically qualified tenderer only will be opened and the lowest bidder may be called for Price Negotiation. The lowest bidder selected thereof would have to enter in to a contract for running of the canteen.

## 20. EVALUATION OF BIDS

The minimum evaluation criteria of offers will be as follows :

20.1 The bids will first be evaluated on the parameters fixed for eligibility criteria and the bids of such bidders who do not fulfill the eligibility criteria conditions listed at 19.1 to 19.10 will not be considered for opening of financial bid.

(a) Only those offers shall be evaluated which are found to be fulfilling all the eligibility and qualifying requirements of the tender, both technically and commercially.

- (b) The tenderer must have experience in running an office canteen/hotel for at least preceding 04 years preferably for public sector undertaking/government establishment. Proof of the satisfactory performance from the previous employer is to be provided.
- (c) MMTC reserves the right to accept any tender or reject any tender or all tenders without assigning any reasons whatsoever.
- (d) The technical assessment of the bid will be carried out by a Committee which would involve past experience documents / credible balance sheet of the firm. The Committee shall have the right to qualify/disqualify the bids as per its/their analysis.
- (e) The evaluation of the offers shall be made as a package covering all the items based on the unit rates quoted for the quantities listed in Appendix-II. Financial bid evaluation of L1 bidder shall be determined based on the unit rates of all items.
- (f) The Lowest 'Acceptable' tender shall be considered further for conclusion of contract.

21. LIQUIDATED DAMAGES

21.1 MMTC reserves the right for termination of the contract at any time by giving one month written notice, if the services are found unsatisfactory and also has the right to award the contract to any other agency at the cost, risk and responsibilities of the contractor who is awarded the work contract in the first place and any excess expenditure incurred on account of this will be recovered by MMTC from Security Deposit or pending bill or by raising a separate claim on the contractor.

21.2 The MMTC will have the right to forfeit the security deposit amount, whole or part thereof or deduct whole/part of the security deposit against payment of amount due to MMTC, by way of any loss or damage caused to or would be caused to /suffered by the MMTC by reason of any breach of contract or if any of the terms or conditions contained in the agreement or by reason of contractor's failure to perform the agreement. The decision on the amount of penalty would be that of MMTC and cannot be contested by the contractor.

21.3 Any damage to the existing structures / property, appliances, furniture, fixture & fittings etc. during running of canteen shall be made good immediately on the spot by the Contractor at his own expense.

21.4 Deductions for Exception

Standard of quality of food cleanliness and hygiene in canteen should be of the highest order, failing which penalties will be levied on the contractor as under :-

- (i) First Occasion - Written Warning 1
- (ii) Second Occasion - Written Warning 2
- (iii) Third Occasion - Rs 1,000/- penalty
- (iv) Fourth Occasion - Rs 5,000/- penalty
- (v) Fifth Occasion - Cancellation of Contract.

However, if the exceptions become general practice, action will be initiated as per clause 21.1 above.

22. CLEANLINESS

22.1 The contractor shall be fully responsible to keep the premises of the canteen like dining hall, kitchen, in canteen premises and surroundings clean and neat. The contractor also should

engage their employees for removal of wet & dry wastes at least twice a day. The Contractor shall keep the premises of the canteen, canteen hall, kitchen, all the furniture, utensils, fixtures, roof/wall, ceiling fans, exhaust fans, windows and

ventilators including net and its glass, and any other fittings in clean, healthy and hygienic and sanitary conditions to the satisfaction of the MMTC. The canteen hall tables, kitchen slabs, wash basins and other areas of the Canteen should be cleaned daily at end of day using perfumed disinfectant. Mopping of all these locations should be done after each meal. Entire canteen area shall be washed on alternate days in a week (Monday, Wednesday and Friday). Surroundings areas have to be swept once in a week, especially on Fridays. All inside/outside drainages connected with canteen, in the canteen compound premises shall be cleaned using disinfectant/phenol by the contractor. Cold storage and refrigerators are to be defrosted and cleaned once a week by the contractor. Rat proofing regularly and other pest control is to be done with care once in six months.

22.2 The employees on duty in the canteen shall always wear clean and neat uniform (minimum 02 sets to be provided by contractor) with name tally and designation for easy identification. Torn uniform, chappals, unkempt looks will be considered as breach of contract. They should be familiar with usage of fire extinguisher and other safety equipment. The age of employees should not be below 18 and above 55. The contractor is responsible for behaviour and conducts of his personnel and should ensure that no one is roaming outside canteen premises in working hours.

22.3 The Contractor shall prepare the canteen premises for sanitary rounds by designated officials of MMTC.

23. RATES

23.1 The rates as per the Order shall be fixed during the contract period of one year, but can be reviewed on mutually agreeable terms between the Canteen Management Committee and the Contractor.

24. DAILY TIMING OF SERVICE

24.1 The approx. daily timings of serving food/eatables shall be as under :-

**Breakfast :** 1000 – 1100 hrs.

**Tea & snacks :** 1000 - 1100 hrs in morning & 1500-1600 hrs in evening

**Lunch :** 1330 – 1400 hrs.

25. CONTRACTOR'S GENERAL RESPONSIBILITIES AND LIABILITIES

25.1 MMTC shall have no liability to the employees or members of Contractor whatsoever.

25.2 The workers employed by the contractor should be medical fit and should be subjected to routine medical examination every six months at the contractor's expense.

25.3 The contractor has to employ the canteen staff after due verification of their character and antecedents. Personnel having been involved in any civil / criminal cases are not to be engaged for employment in the canteen. Any of the contractor's personnel working in the canteen is found to have been / being involved in civil / criminal cases would entail termination of contract as well as forfeiture of security deposit. The contractor will bear the responsibility and cost of police verification of all canteen staff from local police authorities.

25.4 The contractor / his representatives or his supervisory staff and employees are required individually to be in possession of security pass / identify card issued by contractor/firm which shall be issued after police verification.

26. SOLE ARBITRATION

26.1 Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by arbitration by a sole arbitrator to be nominated by Chairman and Managing Director (CMD) of MMTC. The provisions of Arbitration and Conciliation Act-1996 shall apply to such arbitration proceedings. The venue of arbitration shall be New Delhi.

27. CONCILIATION/ ARBITRATION

27.1 If any dispute (s) or difference (s) of any kind whatsoever arise between the MMTC and Contractor, both the Parties shall negotiate with a view to reach an amicable resolution and settlement through a committee appointed by CMD, MMTC.

27.2 Notwithstanding the existence of any dispute or differences and/or reference for the arbitration, the Contractor shall proceed with and continue without hindrance the performance of the work under the contract with due diligence and in a professional manner and the payment due to the Contractor shall not be withheld on account of such dispute or difference unless such payment is a subject matter of the arbitration.

27.3 The parties will not be entitled to any pendente-lite interest during arbitration proceedings.

28. INDEMNITY

28.1 The contractor shall keep MMTC indemnified from and against all suits, losses, claims, demands, proceedings, and liability of any nature brought or instituted against them by any of contractors' employees or any other third party in connection with, relating to or arising out of the performance of the services or non-compliance, deficiency, non-implementation of various provisions of statutory requirements.

28.2 The contractor shall keep the company and its officials indemnified from and against all suits, losses, claims, demands, proceedings, and liability of any nature or kind including costs and expenses, injuries to any person, damages to any property.

29. FORCE MAJEURE

29.1 If at any time during the existence of this contract either party is unable to perform in whole or in part any obligations under this contract because of war, hostility, military operations, civil commotion, sabotage, quarantine, restrictions, acts of God and acts of Government (including but not restricted to prohibitions of exports and imports), fires, floods, explosions, epidemics, strikes, or any other labour trouble, embargoes, then the date of fulfillment of any obligations engagement shall be postponed during the time when such circumstances are operative. Any waiver/extension of time in respect of the delivery of any installment or part of the goods shall not be deemed to be waiver / extension of time in respect of the remaining deliveries.

29.2 The party which is unable to fulfill its obligations under the present contract, must within 15 days of occurrence of any of the causes mentioned in clause 29.1 shall inform the other party of the existence or termination of the circumstances preventing the performance of the contract. Certificate issued by Chamber of Commerce or any other competent authority connected with the case shall be sufficient proof of the existence of the above circumstances and their duration.

29.3 Time for performance of the relative obligation suspended by Force Majeure shall then stand extended by the period for which such cause lasts.

30. PEACEFUL HANDING OVER OF POSSESSION :

30.1 The canteen premises shall be the sole property of the MMTC and the Contractor will have no claim / control over the canteen premises at any point of time. All rights with regard to ownership of the property shall vest in MMTC at all times.

30.2 On completion/termination of the contract, it shall be the duty of the contractor to handover the premises in a peaceful and vacant state and peacefully handover all equipments/appliances, furniture, fixture & fittings and remove all the persons deployed by him and ensure that no person creates any disruption/hindrance/problem of any nature.

31. TRANSFER OF LIABILITIES:

31.1 In the event of exigency of death, infirmity, insolvency of the contractor or for any other reason or circumstances, all liabilities shall be borne by the following on such terms and conditions, as the CMD, MMTC may think proper in public interest.

- a) Legal heirs in case of sole proprietor;
- b) The next partners in the case of company or firm.

32. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

32.1 All matters connected with this shall be governed by the Indian law both substantive and procedural, for the time being in force and shall be subject to the exclusive jurisdiction of Indian Courts at Delhi.



33. Any clarification on the documents may be obtained from:-

---

Shri S. Bhasker

AGM (Personnel),

MMTC Limited,

Core-1, SCOPE Complex,

**NEW DELHI-110 003.**

Telephone No: 2438 1309

Shri Arvind Kumar

Sr. Manager (Welfare)

MMTC Limited,

Core-1, SCOPE Complex,

**NEW DELHI -110 003.**

Telephone No: 2438 1444

(Please sign and stamp on each page)

**Scope of work and terms and conditions**

**A. Coverage of Canteen services**

- i) Providing and serving of tea / beverages / snacks / lunch services at MMTC office premises at Core-1, Scope Complex (on all 7 floors) - About 480 employees

**B. Providing Canteen / catering services for MMTC meetings, conferences etc. as per rough estimation given in Appendix-I.**

**C. Facilities provided by MMTC :**

- i) Canteen space with furniture on First Floor at Scope office together with cooking space equipped with cooking counter, chimney, exhaust fan, wardrobes etc.
- ii) Water cooler with RO system, refrigerator
- iii) Electrical fittings including CFL lamps / tube lights
- iv) Water supply
- v) Electric supply (chargeable to the contractor on actual consumption basis)
- vi) Empty gas cylinders.
- vii) Kitchen appliances includes, all new burners, tilting bracing pan 90 ltr., tilting bulk cooker 90 ltr., chapatti plate with puffer, dosa making place, drain through grating with basket, SS wall shelves, SS work table with sinks, SS exhaust hood, renovated dish wash area including wash table with double stake, renovated serving area including bain marie with sneeze guard, renovated air distribution area including fresh air inlet and exhaust arrangements, newly installed gas pipeline, high pressure regulator, gas bank etc.

**D. Broad details of Scope of work Contract**

- i. Servicing of lunch / tea / snacks to employees
- ii. Arrangements for supply (on all 7 floors) of cooked lunch, tea and snacks for about 480 employees at Scope office as follows :
- iii. Lunch\* for about 100-150 employees at first floor canteen
- iv. Tea / coffee for employees at Scope office
- v. Arrange for servicing of cooked / pre cooked snacks to all the employees of the

Corporation at Scope office. An illustrative menu of lunch /snacks etc. together with the brand / quality of the material to be used is enclosed(Appendix-II)

(\*) The number may vary depending upon the option exercised.

- Cooking gas/PNG only can be used as a cooking medium. Cooking gas/PNG will be arranged and paid for by the contractor.
- The contractor is expected to mobilize his equipment for the execution of the scope of work including deep freezers, soft drink chillers etc. Cooking equipments, utensils, and cutlery available in the canteen premises will be handed over to the contractor. Balance cooking equipments utensils, serving vessels, plates, spoons, glasses etc. are to be arranged by the contractor. Any items issued by MMTC are to be returned at the end of contract, in working condition. In case of any damage/deficiency/ discrepancies to these items, costs for the same would be recovered from the contractor.
- Provision of food stuff, provision and other items for running canteen is entirely the responsibility of the contractor. All beverages and eatables shall be supplied or prepared from good and pure raw material, maintaining healthy and hygienic standards. In case any item is found substandard or of inferior quality or unhygienic, MMTC shall have the right to prohibit the catering /supply thereof at the canteen and make alternate arrangements at risk and cost of the Contractor. Selling of alcohol or tobacco products is strictly prohibited in the canteen.
- The Contractor shall prepare and display the menu and rate list of items prominently in the canteen. The designated officials of MMTC will be responsible for monitoring work of contractor and will have right to inspect store rooms, gallery, dining hall etc. The contractor shall adhere to the decision of MMTC and he will attend any meeting on call. The designated officials of MMTC will have the right to inspect any time and find out quality and quantity of items supplied by the contractor. The contractor shall also provide a weighing balance and weights (to be kept in store) for this purpose.

**SUMMARY OF EXPECTED MONTHLY  
CONSUMPTION OF LUNCH, SNACKS, TEA,  
COLD DRINKS ETC. IN MMTC**

<b>S.No.</b>	<b>Venue</b>	<b>Monthly estimated consumption (In Nos.)</b>
<b>A.LUNCH</b>		
	a) Serving lunch to employees, i.e. buffet/packed lunch/thali	8000
	b) Packed special lunch for meetings etc.	500
	c)Special buffet for meetings including soup, dessert and non-veg. i)Veg ii)Non-veg	100
<b>B.BEVERAGES</b>	a) Tea	18000
	b)Coffee	2000
	c)Veg.Soup	2000
	d)Juice	2000
<b>C.SNACKS</b>	a)Samosa	2000
	b)Kachori	2000
	c)Paneer Pakora	2000
	d)Paneer Cutlet	2000
	e)Veg.sandwich	2000
	f)Idli with samber	2000
	g)Vada with samber	2000
	h)Omette	1000
	i)Assorted veg. pakoras	3000
	j)Bread toast(butter/jam)	2000

**ILLUSTRATIVE LUNCH/SNACKS MENU**

**i. (a) LUNCH for employees**

**(in consultation with Canteen Management Committee)**

<b>Different dishes</b>	<b>Monday</b>	<b>Tuesday</b>	<b>Wednesday</b>	<b>Thursday</b>	<b>Friday</b>
Vegetable (about 100 gms)	Matar Paneer	Karhi Pakora	Kofta/Alu Mattar	Mix Veg.	Kabul! Channa
Dal (about 100 gms)	Rajma (approx .250 gms)	Seasonal Veg.	Dal	Yellow dal	Seasonal Veg.
Rice(about 100 gms)	Jeera Rice(Basmati)	Boiled Rice(Basmati/golden sela)	Peas/lemon rice(Basmati)	Veg. Rice(Golden sela)	Chinese Rice
Roti	Chapati (atta tava Roti)- 2 nos wrapped in foil paper	- do-	- do-	Chapatti	Chapati
Curd/Raita (about 100gms)	Curd/Raita	Curd/Raita	Curd/Raita	Curd/Raita	Curd/Raita
Sweets	Kheer/Halwa (Approx. 100 gms.)	Seasonal Fruit	Gulab Jamun etc.	Seasonal Fruit	Ice Cream 50 gms (MD)
Complimentary	Salad/Papad/Achaar	Salad/Papad/Achaar	Salad/Papad/Achaar	Salad/Papad/Achaar	Salad/Papad/Achaar
Diet Lunch as an option to employees(about 500 gms)	Seasonal cut fruits, sprouts, veg. salad, bread sandwich etc.				

**i (b) Menu for Packed Special Lunch for meetings/Trainings**

In addition to above, one more item of vegetable, special salad and fresh cut seasonal fruits about 50 gms each would be supplied

- ii) **SNACKS/BEVERAGES (Twice daily -Morning/after noon): Both items on each day have to be separate (in consultation with Canteen Management Committee)**

BEVERAGES	a) Tea - 100 ml. b) Coffee-100ml. c) Veg. soup- 150 ml. i. Juice- 150- ml. (Fresh fruit/vegetables)
SNACKS	a) Samosa(1 pc)100gm
	b) Kachori(1 pc)100gm.
	c) Paneer Pakora(1 pc) 50 gm.
	d) Paneer Cutlet(1 pc)75 gm.
	e) Veg.Sandwich-2 pcs
	f) 100 gm. Idli with samber( 2 pcs)
	g) 100 gm. Vada with samber ( 2 pcs)
	h) Omelets(1 egg + 2 bread slices)
	i) Assorted veg. pakoras(100 gm)
	j) Bread toast(butter/jam-10 gm + 2 slices)

**Appendix-II Contd.**

**iii) MEETINGS. CONFERENCES ETC.(Indicative)(Special buffet for meetings etc)**

<p><b><u>Soup Section(Anyone)</u></b></p> <p>Tomato Soup</p> <p>Veg.Hot and Sour Soup</p>	<p><b><u>Paneer Section (Anyone)</u></b></p> <p>Paneer</p> <p>Matter Paneer</p> <p>Malai Paneer Jhalfrezi</p>	<p><b><u>Dry vegetable (Any one)</u></b></p> <p>Mix. Vegetable Jhalfrezi</p> <p>Aaloo Ghobi Masala</p> <p>Aaloo Methi</p> <p>Boiled Veg.</p>
<p>Veg. gravies (Any two)</p> <p>Pakori Masala</p> <p>Palak Channa Dal</p> <p>Aaloo Mattar Masala</p> <p>Lauki Kofta</p>	<p><b><u>Dal Sectionbl(Any one)</u></b></p> <p>Dal Makhani</p> <p>Dal Panchrangi</p> <p>Dal Channa Masala</p>	<p><b><u>Pulao Section (Any one)</u></b></p> <p>Plain rice</p> <p>Zeera Pulao</p> <p>Peas Pulao</p> <p>Veg. Pulao</p>
<p><b><u>Salad (Any two)</u></b></p> <p>Macaroni Salad</p> <p>Kuchumber Salad</p>	<p><b><u>Curd Section (Any one)</u></b></p> <p>Bhoondi Raita</p> <p>Mint Raita</p> <p>Cucumber Raita</p> <p>Mix Veg. Raita</p>	<p><b><u>Bread Section (Any three)</u></b></p> <p><b><u>Nan</u></b></p> <p>Roti/khasti roti</p>
<p><b><u>Sweets Section (Any two)</u></b></p> <p>Ice Cream Vanila</p> <p>Ice Cream Strarberry</p> <p>Gulab Jamun</p>		<p><b><u>Non-vegetarian (Any one)</u></b></p> <p>Chicken Korma Palak Chicken</p> <p>Chicken do Pyaza Methi Chicken</p> <p>Masala Fish Masala</p> <p>Mutton Masala Fish Curry</p> <p>Mutton Korma</p>
<p><b><u>Accompaniments: Achar, Papad,</u></b></p>		

**BRAND / QUALITY / MAKE OF MATERIALS**

Sl.No.	Items	Quality / Brand
	<b>Dairy Products</b>	
1	Milk- Toned. Pouched	100 % Milk Food/Vita / Mother dairy/
2	Butter	Amul / Britannia / Vita / Viiva
3	Cheese Processed	Amul / Britannia / Vita / Viiva
4	Condensed Milk	Milk Maid/ Nestle/Mother Dairy
5	Ice Cream	Mother Dairy/Kwality walls/Vadilal
6	Curd	Packed(100 Cms)curd of Nestle/Mother Dairy/Amul
	<b>Bakery Products</b>	
1	Bread	Harvest Gold /Britannia /Modern
2	Biscuit	Britannia / Parle / Sunfeast/ Little Heart/ Fifty Fifty / Good day/ Bon
	<b>Provision and Stores</b>	
1	Atta (Whole grain)	Good quality Agmark of Aashirwad / Aahar / Nature Fresh / Shakti Bog
2	Basmati Rice	Good quality Basmati Rice(Red Fort .
3	Sugar Cube	Dauralla or equivalent
4	Low calorie sweetener (Sachet / Tablet)	Equal / Nature fresh / Sugar Free
5	Tea Bags	Tai Mahal / Tata Tetlev / Lipton
6	Coffee	Nestle Classic
7	Jam	Kissan / Top / Hinz / Catch
8	Pickle	Kissan / catch / Panch Ranga
9	Refined Oil (Low fat content)	Gold seal (Lipton) / Postman (Hindustan lever) / Sweekar/ Sun
10	Tamato/Chilli/sova sauce	Maqi / Kissan / tops
11	Garam / Chat / Ghana Masaka - Kasturi Methi. table salt. Dhania/Chilli Haldi Powder, Pepper etc.	Good Quality MDH / Catch / Agmark MTR - ISI mark
12	Custard Powder	Brown and poison / wake Field
13	Laung. Dal Chini. elaichi and other hot spices etc.	Best quality
14	Pulses - Dais and beans etc.	Best quality
	<b>Fruits and vegetables</b>	
15	Fresh fruits/fresh vegetables or frozen veg.	Fresh and Best Quality - Frozen items of safal / Mother dairy

In case of non -availability of above described brand/(s) - the contractor should obtain prior permission of the officer-in-charge for use of alternate material



**CANTEEN SERVICES – TECHNICAL BID**

**ELIGIBILITY CRITERIA**

1. THE AGENCY

A) **Name** \_\_\_\_\_

B) **Type** Limited Company/Partnership/SSI/NGO/Proprietor  
(Please enclose copy of registration)

C) **Regd. Address** \_\_\_\_\_

D) **Address of Office at Delhi / NCR** \_\_\_\_\_

**E) Contact Person's**

a. Name & Designation \_\_\_\_\_

b. Tel No. Landline \_\_\_\_\_ Mobile \_\_\_\_\_

c. Email ID \_\_\_\_\_

---

2. PAN/GIR No. \_\_\_\_\_

3. TIN No. \_\_\_\_\_

4. Service Tax Regn. No. \_\_\_\_\_

5. EPF Registration No. \_\_\_\_\_

6. ESI Registration No. \_\_\_\_\_

(attach copy of documentary evidence for S. No. 2 to 6))

7. Annual Turnover for the last 4 years;  
(Should be more than Rs. 30 lakh)

1	2014-15	_____
2	2013-14	_____
3	2012-13	_____
4	2011-12	_____

Please attach copies of documentary proof (Viz. P&L A/c /CA certified documents and ITR copies)

8. Experience of similar work in the field during the last four years  
I(i)The bidder must have experience of smooth running of canteen for minimum 250 employees of reputed organization or should have provided at least 20 catering services of 250 persons or more.

I (ii) The catering staff should have experience in servicing in office complexes.

(Please attach copies of documentary evidence in respect of experience and a certificate to the effect that the catering staff deployed will have experience in servicing in office complexes).

9. Earnest Money Details

Amount Rs.1,00,000/-

DD No. \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_  
Bank \_\_\_\_\_

Signatures of authorized signatory

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Seal

## CANTEEN SERVICES – FINANCIAL BID

	Rate Per Unit (inclusive of Taxes)
A. LUNCH	
<p>a) Serving lunch to employees ie. Combination of buffet/packed lunch/thali</p> <p><b>Veg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Four Chapatis</li> <li>ii) One vegetable</li> <li>iii) Boiled rice</li> <li>iv) One dal</li> <li>v) One sweet</li> <li>vi) Curd/raita</li> <li>vii) Salad</li> </ul> <p><b>Non-veg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Four Chapatis</li> <li>ii) One vegetable</li> <li>iii) Boiled rice</li> <li>iv) Chicken(gravy item)</li> <li>v) Mutton(gravy item)</li> <li>vi) Fish (gravy item)</li> <li>vii) One sweet</li> <li>viii)Curd/raita</li> <li>ix) Salad</li> </ul>	
<p>b) Packed Special Lunch for meetings / Trainings:</p> <p><b>Veg :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Two Chapatis or</li> <li>ii. Parathas or</li> <li>iii. Naans</li> <li>iv. Paneer Section (one item)</li> <li>v. One seasonal vegetable</li> <li>vi. Jeera rice/pulav</li> <li>vii. One dal</li> </ul>	

<p>viii. Two sweets  ix. Curd/raita  x. Salad  ((Papad/Achar/tissue papers/mouth freshener/tooth picks complimentary)</p> <p><b>Non-Veg :</b></p> <p>i. Two Chapatis or  ii. Parathas or  iii. Naans  iv. Paneer Section (one item)  v. One seasonal vegetable  vi. Jeera rice/pulav  vii. Chicken(gravy item)  viii. Mutton(gravy item)  ix. Fish (gravy item)  x. Two sweets  xi. Curd/raita  xii. Salad  (Papad/Achar/tissue papers/mouth freshener/tooth picks complimentary)</p>	
<p>c) Special Buffet for conferences / Board Meetings:</p> <p><b>Veg :</b></p> <p>i. Soup  ii. Paneer (one item)  iii. One seasonal vegetable  iv. Dal  v. Pulao Section (one item)  vi. Bread Section (any three)  vii. Parathas  viii. Naans  ix. Roti  x. Missi Roti/Khasta Roti  xi. Two sweets  xii. Curd/raita  xiii. Salad  xiv. Achaar / Papad</p>	

<p><b>Non-Veg :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Soup</li> <li>ii. Paneer (one item)</li> <li>iii. One seasonal vegetable</li> <li>iv. Chicken (gravy item)</li> <li>v. Mutton (gravy item)</li> <li>vi. Fish (gravy item)</li> <li>vii. Pulao Section (one item)</li> <li>viii. Bread Section (any three)</li> <li>ix. Parathas</li> <li>x. Naans</li> <li>xi. Roti</li> <li>xii. Missi Roti/Khasta Roti</li> <li>xiii. Two sweets</li> <li>xiv. Curd/raita</li> <li>xv. Salad</li> <li>xvi. Achaar / Papad</li> </ul>	
<p><b>B. BEVERAGES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tea</li> <li>b) Coffee</li> <li>c) Veg Soup</li> <li>d) Juice</li> </ul>	
<p><b>C. SNACKS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Samosa</li> <li>b) Kachori</li> <li>c) Paneer Pakora</li> <li>d) Paneer Cutlet</li> <li>e) Veg Sandwich</li> <li>f) Idli with Sambar</li> <li>g) Vada with Sambar</li> <li>h) Omelets</li> <li>i) Assorted Veg. Pakoras</li> <li>j) Bread toast</li> <li>k) Bread Pakora</li> </ul>	

The terms and conditions in the Tender Documents are acceptable to us.

Signature of authorized person

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Seal